(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 2447, दिनांक– 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की थति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

चयन का आधार :– **नियुक्ति हेतु चयन, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।**

लिखित (मुख्य) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है :–

मुख्य परीक्षा:– मुख्य परीक्षा में निम्नांकित पत्र होंगे:–

क्र0 सं0	पत्र	विषय	पूर्णांक
1.	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2.	द्वितीय पत्र	हिन्दी भाषा	100
3.	तृतीय पत्र	अंग्रेजी भाषा	100
4.	चतुर्थ पत्र	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	150
5.	पंचम पत्र	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	150
6.	षष्ठम् पत्र	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	150
7.	सप्तम पत्र	अन्य विधि	150

मुख्य परीक्षा में विवरणात्मक प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा:–

(i) प्रथम पत्र– सामान्य अध्ययन– इस पत्र में सामान्य ज्ञान, (समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित), सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते है।

(ii) द्वितीय पत्र– हिन्दी भाषा– इस पत्र का स्तर वही होगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिन्दी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिन्दी का है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल हिन्दी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध–शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर हिन्दी की सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। **इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।**

(iii) तृतीय पत्र–अंग्रेजी भाषा– इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध–शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर अंग्रेजी के सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। **इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।**

(iv) चतुर्थ पत्र– भारतीय दण्ड संहिता, 1860

(v) पंचम पत्र– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872,

(vi) षष्ठम पत्र– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973,

(vii) सप्तम् पत्र– अन्य विधि– इस पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे:–

(क) शस्त्र अधिनियम, 1959,
(ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
(ड़) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
(च) पॉक्सो अधिनियम, 2012

➤ क्रम संख्या–**(iv)** से **(vii)** पर अंकित विषयों के प्रश्नों का स्तर वही होगा, जो पटना विश्वविद्यालय के विधि स्नातक परीक्षा के लिए निर्धारित है।

(3) साक्षात्कार:– साक्षात्कार हेतु 100 अंक निर्धारित है।

नोटः 1 – साक्षात्कार हेतु वैसे ही उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जो हिन्दी और अंग्रेजी को छोड़कर शेष अन्य विषयों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 द्वारा विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक, यथा, सामान्य श्रेणी– 40%, पिछड़ा वर्ग– 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 34%, तथा अनुसूचित् जाति, जनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवार–32% अंक, प्राप्त करेंगे।

नोटः 2 –कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में लिखित